भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 3528

दिनांक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

पश्चिमी बंगाल में भूजल संदूषण

3528. श्री विवेक गुप्ताः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य में कुल कितने जिले भूजल संदूषण से प्रभावित हैं, तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा संदूषण रोकने और सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) उक्त समस्या से निपटने हेतु राज्य सरकार को दी गयी तकनीकी और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भूजल पर आधारित पेयजल आपूर्ति के प्रमुख रासायनिक पैरामीटरों की मॉनिटरिंग करता है नामतः आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, नाइट्रेट, लवणता तथा भारी धातु। मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 29 मार्च, 2017 तक रसायन संदूषण से प्रभावित जिलों की संख्या निम्नानुसार है।

रसायन संदूषण का नाम	**रसायन संदूषण से प्रभावित जिलों की संख्या**
फ्लोराइड	06
आर्सेनिक	08
लौह	18
लवणता	04
नाइट्रेट	01
भारी धातु	शून्य

मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 29 मार्च 2017 तक पश्चिमी बंगाल में भू पेयजल स्रोतों में रसायन संदूषण होने से प्रभावित बसावटों की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक** पर दी गई है।

(ख) और (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी में सुरक्षित पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। राज्य सरकार ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की आयोजना, डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और संचालन करती है।

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को आबंटित 67% तक की निधियों का उपयोग आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता देते हुए जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। चूंकि राज्यों के पास जल शुद्धिकरण संयंत्रों सहित जलापूर्ति परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और निगरानी की शक्तियां हैं, अत: राज्य स्वच्छ पेयजल के तत्काल प्रावधान के लिए अल्प/मध्यम अवधि के उपाय के रूप में सामुदायिक जल शुद्धिकरण प्रणालियों को स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा, 5% एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां जल गुणवत्ता के लिए चिह्नित हैं और उन राज्यों को आबंटित की जाती हैं, जिनमें अत्यधिक रसायन संदूषण से प्रभावित बसावटे हैं और जापानी इंसेफेलाइटिस/उग्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को आबंटित निधियों का 3% तक जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए चिन्हित है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ नई राज्य/ जिला /उप-जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, प्रयोगशालाओं में रसायन तथा उपभोग की सामग्री उपलब्ध कराने, प्रयोगशालाओं में मानव शक्ति नियोजित करने, ग्राम पंचायतों में क्षेत्र जांच किट/ रिफिल तथा बैक्टेरियालॉजिकल वायल उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य करना शामिल हैं।

पेयजल गुणवत्ता जांच के लिए उत्तम परिणाम/सही परिणाम प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में समरूपी पेयजल गुणवत्ता प्रोटोकॉल प्रकाशित किया था और देश में जिला स्तर पर व्यापक रूप से परिचालित किया था, जिसमें विभिन्न स्तरों पर प्रयोगशालाओं के गठन/कार्यान्वयन और जल गुणवत्ता जांच प्रक्रियाओं के लिए न्यूनतम मानदंड शामिल किए गए हैं।

राज्यों से कहा गया है कि वे जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सुरक्षित एवं बारहमासी सतही जल स्रोतों से नल जल आपूर्ति स्कीमों पर बल दें। अल्पकालिक उपाय के तौर पर सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के जरिए आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में पीने एवं रसोई प्रयोजन के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल प्रदान

करने हेतु नीति आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा राज्यों को 100% अनुदान के रूप में मार्च 2016 में 800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में क्रमशः आर्सेनिक और फ्लोराइड समस्याओं को दूर करने के लिए सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अंतिम कनेक्टिविटी के रूप में प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए की निधियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

केंद्र तथा राज्य के बीच 50:50 की भागीदारी में और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में उनके मध्य 90:10 की भागीदारी में मुख्यत: सतही जल आधारित नल जलापूर्ति स्कीमों द्वारा केवल आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित आबादी के लिए केन्द्रित वित्तपोषण के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए 15 राज्यों को 814.14 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

******

दिनांक 03/04/2017 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3528 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 29 मार्च 2017 तक पश्चिमी बंगाल में भू पेयजल स्रोतों में रसायन संदूषण होने से प्रभावित बसावटों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	संदूषण-वार बसावटों की संख्या						
		कुल	फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	लवणता	नाइट्रेट	भारी धातु
		बसावटें	बसावटें	बसावटें	बसावटें	बसावटें	बसावटें	बसावटें
1	अलिपुरद्वार	0	0	0	0	0	0	0
2	बांकुरा	311	39	0	272	0	0	0
3	बर्धमान	373	0	141	232	0	0	0
4	बिरभूम	67	48	0	19	0	0	0
5	कूचबिहर	612	0	0	612	0	0	0
6	दक्षिण दीनाजपुर	978	688	0	290	0	0	0
7	दार्जीलिंग	280	0	0	280	0	0	0
8	हूगली	644	0	170	474	0	0	0
9	हावड़ा	142	0	1	140	1	0	0
10	जलपाईगुडी	52	0	0	52	0	0	0
11	मालदाह	996	4	825	167	0	0	0
12	मुर्शिदाबाद	1187	0	1186	1	0	0	0
13	नाडिया	2253	0	2229	24	0	0	0
14	नॉर्थ 24 परगना	2740	0	2603	75	62	0	0
15	पश्चिमी मेदिनीपुर	485	0	0	485	0	0	0
16	पूर्ब मेदिनीपुर	258	0	0	250	8	0	0
17	पुरूलिया	348	228	0	119	0	1	0
18	साऊथ 24 परगना	375	0	321	1	53	0	0
19	उत्तर दीनाजपुर	110	11	0	99	0	0	0
कुल		**12211**	**1018**	**7476**	**3592**	**124**	**1**	**0**